

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 12.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-36 व्यक्तियों को अत्रतगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अशरफ अली पुत्र खेलवारी नि० कटका वैशन पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-207/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. हरिनारायन पुत्र जगराम नि० हरीदीन पुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-283/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामलाल कोरी पुत्र स्व० बुधई नि० लोलपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-465/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

आम्स एक्ट द्वारा में गयी कार्यवाही-

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 01-01 अदद नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्तों-01. गुलाम गाजी पुत्र लाल मोहम्मद नि० अली नगर लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा, 02. मो० हासिम पुत्र मुनीर नि० अली नगर लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गस्त के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों को थाना खरगूपुर में मु०अ०सं०-241/20,

242/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया ।

02. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना को० नगर पुलिस ने 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त बृजेश कश्यप उर्फ बाबू कश्यप पुत्र शिव प्रसाद नि० मालवीय नगर गौधी पार्क थाना को० नगर जनपद गोण्डा को गस्त के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को थाना को० नगर में मु०अ०सं०-869/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्त समीम पुत्र फुलवारी उर्फ मुन्ना नि० रगड़गंज बाजार थाना तरबगंज जनपद गोण्डा, 02. नियाज उर्फ मुर्से पुत्र मुस्तकीय नि० कलन्दरपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना नवाबगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०-466/20, धारा 379.411 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 11.11.2020 को वादी भुरकुट्टी पुत्र जमुना नि० चौबेपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के भैस को चोरी कर ले गये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना नवाबगंज में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें नवाबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया भैस बरामद किया गया । अभियुक्तों को थाना नवाबगंज में पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

चोरी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कुलदीप सिंह पुत्र स्व० रामगोपाल सोनी नि० सोनारनपुरवा पीलखाना थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 400 / 20, धारा 379.411 भादवि० थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।

02. मु०अ०सं०- 420 / 20, धारा 8 / 22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 3000 रुपये नगद ।
02. 330 नशीली गोलियाँ अल्प्रासेफ ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.10.2020 को वादी घनश्याम जयसवाल पुत्र दुःख हरन नि० ग्रा० लालपुर पोस्ट अंधियारी थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा की मारुति कार में रखे रुपये 30,000 चोरी हो गये थे जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना मनकापुर में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें मनकापुर पुलिस ने सुरागरसी – पतारसी कर प्रकाश में आये उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 12.11.2020 को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के रु० 3000 व 330 नशीली गोलियां अल्प्रासेफ बरामद कर अभियुक्त को थाना मनकापुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ०नि० अभिषेक भदौरिया ।
02. हे०का० गिरिजेश गिरी ।
03. का० रुपेश कुमार पटेल ।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सत्यनाम सिंह उर्फ सत्या सिंह पुत्र अकबाल सिंह नि० तुर्काडीहा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 351 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11/12.11.2020 को थानाध्यक्ष वजीरगंज मय पुलिस टीम के रात्रि गश्त, क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बंधवा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी ।
02. उ0नि0 अखिलेश यादव ।
03. का0 अरुण यादव ।
04. का0 चन्दन मिश्रा ।